XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 733–चार/03 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–7–15	आवेदक की ओर से अभि. श्री एस.के. श्रीवास्तव एवं अनावेदक कमांक 4 एवं 5 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विविध याचिका कमांक 3561/2003 में पारित आदेश दिनांक 2–8–06 की प्रतिलिपि संलग्न है । माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण को चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है । आवेदक अधिवक्ता भी यह नहीं बता सके कि इस प्रकरण को आगे क्यों चलाया जाये । अतः यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । सदस्य	

ONE RUPEE एक रुपया COURT FEE INDIA

समक्ष । – न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल (म.प्र.) ग्वालियर,

~~पुनः स्थापना~~ पुनरावलोकन प्र0क्र0 /2003

आवेदकगण:- डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. जबलपुर एवं एक अन्य

विरुद्ध

अनावेदकगण:- डॉ0 जी0पी0 नरबरिया एवं अन्य

आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 5 भारतीय मर्यादा अधिनियम वास्ते विलंब क्षमा करने हेतु --

आवेदकगण, निम्नलिखित प्रार्थना करते हैं :--

1. यह कि, उपरोक्त प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण के विरुद्ध वास्ते प्रकरण पुनः स्थापना हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

2. यह कि, अनावेदकगण द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत होकर नवीन जानकारियाँ प्रस्तुत की गई हैं जिनके बारे में आवेदक गण को पूर्व से कोई ज्ञान नहीं था ।

3. यह कि, आवेदकगण को रिवीजन प्र0क्र0 56-5/92 में पारित निर्णय दिनांक 1.5.1993 जानकारी जब हुई जब अनावेदकगण माननीय उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ के न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त रिवीजन प्रकरण की नकल प्रस्तुत की गई ।

4. यह कि, उक्त आदेश के बारे में आवेदकगणों को पूर्व से कोई ज्ञान नहीं था । इस कारण आवेदकगणों का विलंब क्षमा किया जा सकता है । शपथ समर्थन में संलग्न है।

प्रार्थना

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि न्यायहित मे आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कारित विलंब न्यायहित में एवं अज्ञानता का भूल मानते हुये क्षमा करने की कृपा करें ।

दि. 9.5.03

अ0 वास्ते आवेदकगण